

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935

No. 450]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/ BHADRA 15, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 30 अगस्त 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा का.नि. 597(अ). —विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 22 अगस्त, 2013 से लागू हुए हैं।@

2. विनियम 14 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 14 में, उप विनियम 1 में,

- 1) खंड (i) में, उप खंड (ए) में "कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा 'नियंत्रित' समझा जाएगा, यदि निवासी भारतीय नागरिकों और निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित भारतीय कंपनियों को कंपनी में अधिसंख्य निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार हों" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- 2) खंड (i) में, उप खंड (बी) में "कंपनी को अनिवासियों द्वारा 'नियंत्रित' समझा जाएगा, यदि भारतीय कंपनी में अधिसंख्य निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार अनिवासियों को हों" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- 3) खंड (i) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:
 " (ए) 'नियंत्रण' में अधिसंख्य निदेशों को नियुक्त करने के अधिकार अथवा प्रबंधन का नियंत्रण अथवा नीतिगत निर्णय जिसमें शेयरधारिता के कारण ऐसा करना शामिल है अथवा प्रबंधन अधिकार अथवा शेयर धारक के करार अथवा मत देने के करार शामिल होंगे ।"

3. अनुसूची 1 में संशोधन

वर्तमान संलग्नक 'बी' के लिये, नया संलग्नक 'बी' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. फेमा. 285/2013-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

फुट नोटः

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा ।
- (ii) मूल विनियमावली जीएसआर संख्या. 406(ई) दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा शासकीय राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:-
 (क) जी.एस.आर. नं. 158(ई) दिनांक 02.03.2001
 (ख) जी.एस.आर. नं. 175(ई) दिनांक 13.03.2001
 (ग) जी.एस.आर. नं. 182(ई) दिनांक 14.03.2001
 (घ) जी.एस.आर. नं. 4(ई) दिनांक 02.01.2002
 (ङ) जी.एस.आर. नं. 574(ई) दिनांक 19.08.2002
 (च) जी.एस.आर. नं. 223(ई) दिनांक 18.03.2003
 (छ) जी.एस.आर. नं. 225(ई) दिनांक 18.03.2003
 (ज) जी.एस.आर. नं. 558(ई) दिनांक 22.07.2003
 (झ) जी.एस.आर. नं. 835(ई) दिनांक 23.10.2003
 (ञ) जी.एस.आर. नं. 899(ई) दिनांक 22.11.2003
 (ट) जी.एस.आर. नं. 12(ई) दिनांक 07.01.2004
 (ठ) जी.एस.आर. नं. 278(ई) दिनांक 23.04.2004
 (ड) जी.एस.आर. नं. 454(ई) दिनांक 16.07.2004
 (ढ) जी.एस.आर. नं. 625(ई) दिनांक 21.09.2004
 (ण) जी.एस.आर. नं. 799(ई) दिनांक 08.12.2004
 (त) जी.एस.आर. नं. 201(ई) दिनांक 01.04.2005

- (थ) जी.एस.आर. नं.. 202(ई) दिनांक 01.04.2005
 (द) जी.एस.आर. नं. 504(ई) दिनांक 25.07.2005
 (ध) जी.एस.आर. नं.. 505(ई) दिनांक 25.07.2005
 (न) जी.एस.आर. नं.. 513(ई) दिनांक 29.07.2005
 (न) जी.एस.आर. नं. 738(ई) दिनांक 22.12.2005
 (प) जी.एस.आर. नं. 29(ई) दिनांक 19.01.2006
 (फ) जी.एस.आर. नं. 413(ई) दिनांक 11.07.2006
 (ब) जी.एस.आर. नं. 712(ई) दिनांक 14.11.2007
 (भ) जी.एस.आर. नं. 713(ई) दिनांक 14.11.2007
 (म) जी.एस.आर. नं. 737(ई) दिनांक 29.11.2007
 (य) जी.एस.आर. नं. 575(ई) दिनांक 05.08.2008
 (र) जी.एस.आर. नं. 896(ई) दिनांक 30.12.2008
 (र) जी.एस.आर. नं. 851(ई) दिनांक 01.12.2009
 (ल) जी.एस.आर. नं. 341 (ई) दिनांक 21.04.2010
 (ळ) जी.एस.आर. नं. 606(ई) दिनांक 03.08.2012
 (ळ) जी.एस.आर. नं. 795(ई) दिनांक 30.10.2012
 (व) जी.एस.आर. नं. 796(ई) दिनांक 30.10.2012
 (श) जी.एस.आर. नं. 797(ई) दिनांक 30.10.2012
 (ष) जी.एस.आर.नं. 946(ई) दिनांक 31.12.2012
 (स) जी.एस.आर.नं. 344(ई) दिनांक 29.05.2013
 (ह) जी.एस.आर. नं. 38(ई) दिनांक 22.01.2013
 (कक) जी.एस.आर. नं.515(ई) दिनांक 30.07.2013
 (खख) जी.एस.आर. नं. _____ दिनांक _____
 (गग) जी.एस.आर. नं.532 (ई) दिनांक 05.08.2013
 (घघ) जी.एस.आर. नं.341(ई) दिनांक 28.05.2013
 (डड) जी.एस.आर. नं.195(ई) दिनांक 01.04.2013
 (चच) जी.एस.आर.नं.393 (ई) दिनांक 21.06.2013
 (छछ) जी.एस.आर.नं.530 (ई) दिनांक 05.08.2013
 (जज) जी.एस.आर. नं. _____ दिनांक _____

संलग्नक बी

विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीति

निम्नलिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में, प्रत्येक क्षेत्र/गतिविधि के सामने दर्शाई गई सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी। जिन क्षेत्रों/गतिविधियों को नीचे नहीं दिया गया है उनमें 100 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी।

जहां कहीं भी न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षित है, इसमें शेयर के अंकित मूल्य के साथ ही प्राप्त शेयर प्रीमियम भी शामिल होगा बशर्ते कंपनी द्वारा इसे अनिवासी निवेशक को शेयर जारी करते समय प्राप्त कर लिया गया हो। न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षा की गणना करते समय शेयर जारी करने की कीमत के

अलावा शेयर-निर्गम के बाद अंतरित करने की अवधि के दौरान इसमें अंतरिती द्वारा भुगतान की गई राशि की गणना नहीं की जाएगी।

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
कृषि			
1	कृषि और पशुपालन		
	ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर); और डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।	100%	स्वचालित
1.1	अन्य शर्तें:		
	I. ट्रांसजेनिक बीजों/ सब्जियों के विकास से संबंधित कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:- (i) जेनेटिक तरीके से आशोधित बीजों या रोपण सामग्री के संबंध में विचार करते समय, कंपनी को जेनेटिक तरीके से आशोधित जीवों पर पर्यावरण(सुरक्षा) अधिनियम के तहत बनाई गई विधियों के अनुसरण में सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करना होगा। (ii) यदि किसी प्रकार की जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री का आयात करना हो तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन होगा। (iii) कंपनी जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री के संबंध में समय-समय पर लागू किए गए किसी अन्य कानून, विनियमन या नीति का पालन करेगी। (iv) जेनेटिक तरीके से अभियंत्रित कोशिकाओं और सामग्री का उपयोग करने में शामिल व्यापारिक गतिविधियां जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी (जीईएसी) और रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) से प्राप्त अनुमोदनों के अधीन होंगी। (v) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार किया जाएगा।		
	II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है:- □ पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है और जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।		
	□ पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: ○ स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन। गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	रिकाडिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी। ○ मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है। □ मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: ○ मछलीघर (अक्वेरियम) ○ हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है। □ मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: ○ कम कामकाज के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/ वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के साथ और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन।		
2	चाय बागान		
2.1	चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।	100%	सरकार
2.2	अन्य शर्तें:		
	भविष्य में किसी प्रकार के भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में संबंधित राज्य सरकार की पूर्वानुमति।		
3	<u>खनन</u>		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं, खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।	100%	स्वचालित
3.2	<u>कोयला और लिग्नाइट</u>		
	(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन	100%	स्वचालित

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(2) वाशरीज जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना बशर्तें कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों को करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।	100%	स्वचालित
3.3	टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां		
3.3.1	क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां	100 प्रतिशत	सरकारी
3.3.2	अन्य शर्तें:		
	भारत में देश भर के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बालू खनिजों का बड़ा भंडार है। टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज नामतः इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन तथा ज़िरकोनियम पाए जाने वाले खनिज जिनमें ज़िरकॉन शामिल है कुछेक समुद्री बालू खनिजों में से हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। औद्योगिक नीति विवरण 1991 के तहत खनिजों के खनन और उत्पादन को 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया और परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची के रूप में रखा गया; जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 1998 को जारी किए गए संकल्प संख्या 8/1(1)/97-पीएसयू/1422 में समुद्री बालू खनिजों के अन्वेषण के लिए नीति बनाई गई जिसमें टाइटेनियम अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और ज़िरकोनियम खनिजों (ज़िरकॉन) के खनन और उत्पादन में एफडीआई सहित निजी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 18.1.2006 की अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.61(ई) द्वारा 'निर्धारित पदार्थों' की सूची को पुनः अधिसूचित किया। टाइटेनियम वाले अयस्कों और इसके सांद्रकों (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) तथा ज़िरकोनियम, इसकी मिश्रधातु और यौगिकों और ज़िरकॉन सहित खनिजों/सांद्रकों को 'निर्धारित पदार्थों' की सूची में से हटा दिया गया। (i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक् करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, नामतः		
	(क) प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी; (ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा। (ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ. 61(ई) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	स्पष्टीकरण: (1) इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। (2) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i) (क) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।		
4	तेल और प्राकृतिक गैस		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुनःगैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामी फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।	100%	स्वचालित
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।	49%	स्वचालित
	विनिर्माण		
5	सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण		
5.1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी, अधिनियम, 2006) में यथापरिभाषित) में एफडीआई क्षेत्रगत सीमाओं, प्रवेश मार्गों और अन्य संगत क्षेत्रगत विनियमनों के अधीन होगा यदि कोई औद्योगिक उपक्रम, जो न तो सूक्ष्म है न लघु स्तर का उद्यम है, एमएसई क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसके लिए सरकारी मार्ग अपेक्षित होगा, जहां विदेशी निवेश 24 प्रतिशत से अधिक होगा। इस प्रकार के उपक्रम को इस प्रकार के उत्पादन के लिए औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस भी लेना अपेक्षित होगा। औद्योगिक लाइसेंस का निर्गम कुछ सामान्य शर्तों के अधीन होगा और इस विशिष्ट शर्त के अधीन होगा कि औद्योगिक उपक्रम तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर एमएसई के लिए आरक्षित वस्तुओं के नए या अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 50 प्रतिशत के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करेगा। निर्यात उत्तरदायित्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से लागू होगा और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।		
6	रक्षा		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	26%	26% तक सरकार । 26% से अधिक मामले -दर- मामले के आधार पर कैबिनेट कमीटी (सुरक्षा) से, जो माडर्न और 'स्टेट आफ दि आर्ट' तकनीक की देश में पहुंच सुनिश्चिती करती है।
6.2	अन्य शर्तें:		
	(ii) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। (iii) आवेदक भारतीय कंपनी/भागीदारी फर्म हो। (iii) आवेदक कंपनी/भागीदारी फर्म का प्रबंधन भारतीय हाथों में हो और कंपनी/भागीदारी फर्म के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व भारतीय निवासियों का हो और साथ ही उसके मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी हों। (iv) आवेदन के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। (v) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपकरण का मूल रूप से निर्माण करने वालों या डिजाइन अधिष्ठानों और ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सशस्त्र बल, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा अनुभागों को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और जिनके पास एक स्थापित अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो। (vi) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा। तथापि, उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर आवेदक कंपनी के प्रबंधन द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। लाइसेंसी प्राधिकारी निर्माण हेतु प्रस्तावित हथियारों और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल मालियत की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। (vii) एक अनिवासी निवेशक से दूसरे अनिवासी निवेशक (अनिवासी भारतीय और पूर्व में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अनिवासी भारतीय हिस्से वाली विदेशी कंपनी निकाय) को इक्विटी हस्तांतरित करने में तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी और ऐसा कोई हस्तांतरण सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। (viii) रक्षा मंत्रालय निर्मित होनेवाले उत्पादों की खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, जहां तक संभव हो, ऐसे उपकरणों के लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ix) लाइसेंस में आवेदन और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन के लिए क्षमता मानदंड उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसी प्रकार के और संबद्ध उत्पादों की वर्तमान क्षमताओं पर विचार करेगा। (x) आवेदक कंपनी को उत्पादन पूर्व कार्यकलाप के लिए उपकरण के आयात, जिसमें नमूने का विकास शामिल हो, की अनुमति होगी। (xi) एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू होने के बाद लाइसेंसी के लिए पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाया जाना अपेक्षित होगा। यह अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। (xii) लाइसेंसी लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से या स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए उत्पादन किए जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता और परीक्षण क्रिया विधि, उपयुक्त गोपनीयता खंड के तहत, सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को उपलब्ध कराएगा। नामित की गई गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी और लाइसेंसी के गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की निगरानी तथा लेखा-परीक्षा करेगी। रक्षा मंत्रालय मामला-दर-मामला आधार पर स्व-प्रमाणन की अनुमति देगा जिसमें या तो अलग-अलग वस्तुएं होंगी या लाइसेंसी द्वारा निर्मित वस्तुओं के समूह होंगे। ऐसी अनुमति नियत अवधि के लिए होगी और ये नवीकरण के अधीन होंगे। (xiii) सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार खरीद की तरजीह और मूल्य की तरजीह सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है। (xiv) निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित हथियार एवं गोलाबारूद मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय को बेचे जाएंगे। ये वस्तुएं रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेचे जा सकते हैं। देश के भीतर ऐसी कोई भी वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं बेची जाएगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात आयुध कारखाने और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए लागू नीति और दिशानिर्देश के अधीन होगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इतर व्यक्तियों/संस्थाओं को गैर-प्राणघातक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसी से यह भी अपेक्षित होगा कि वह अपने कारखाने से सभी माल को हटाने के लिए एक सत्यापनीय प्रणाली तैयार करे। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। (xv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश की अनुमति नहीं है। (xvi) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमति चाहने वाले सभी आवेदन पत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के सचिवालय को प्रस्तुत किये जाएंगे। (xvii) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले आवेदनपत्र मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, रु.1200 करोड़ से अधिक के अंतर्वाह वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमति चाहने वाले आवेदन पत्रों की अतिरिक्त जांच सभी मामलों में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विशेष रूप से 'माडर्न और स्टेट आफ दि आर्ट' तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। (xviii) रक्षा उत्पादन विभाग और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, रक्षा उत्पादन विभाग उन मामलों में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी से अनुमोदन लेगा जिनके संभावित परिणाम के रूप में देश में 'माडर्न और स्टेट आफ दि आर्ट' तकनीक तक पहुंच होती है। (xix) रु.1200 करोड़ से अधिक के अंतर्वाह वाले 26% से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रस्ताव		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	जो कैबिनेट कमीटी द्वारा अनुमोदित किये जाने हैं, उसके लिए फिर से आर्थिक कार्य विभाग की कैबिनेट कमीटी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। (xx) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर सरकार का निर्णय सामान्यतः पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।		
सेवा क्षेत्र			
सूचना सेवा			
7	प्रसारण		
7.1	प्रसारण वाहक सेवा		
7.1.1	(1) टेलीपोर्ट (अप-लिकिंग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना) (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) (3) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम करने वाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (4) मोबाइल टीवी (5) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस(एचआईटीएस)	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	49 प्रतिशत	स्वचालित
7.2	प्रसारण विषयक सेवाएं		
7.2.1	क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो) , एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।	26 प्रतिशत	सरकारी
7.2.2	“समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शाने वाले” टी वी चैनलों की अपलिकिंग	26 प्रतिशत	सरकारी
7.2.3	“गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शाने वाले” टीवी चैनलों की अप-लिकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-लिकिंग	100 प्रतिशत	सरकारी
7.3	टीवी चैनलों की अप-लिकिंग/डाउन-लिकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सुसंगत अप-लिकिंग/डाउन-लिकिंग नीति के अनुपालन के अधीन होगी।		
7.4	उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हों।		
7.5	उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) की सीमा में विदेशी		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जोडीआर) द्वारा किए गए निवेश और विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल हैं।		
7.6	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/नियमों के अधीन होगा: कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा (i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे। (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), तकनीकी नेटवर्क परिचालन के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन (iii) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे किसी प्रमुख कार्यपालकों जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी रखने वाले शेयरधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करें। कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आदि जैसे प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कंपनी के लिए बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे। (iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा। अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन (v) यह अनुमति अनुमति धारक/लाइसेंसी द्वारा अनुमति की वैधता-अवधि के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति तत्काल खत्म की जा सकती है।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(vi) अनुमति धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमति धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क/सॉफ्टवेयर संबंधी अपेक्षा (vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं, (viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा। (ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी। (x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके। सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण (xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके। (xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्च पर निर्दिष्ट स्थान(नों) पर आवश्यक उपकरण, सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। (xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपत्तिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है। (xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी सेवाओं से संबंधित ऐसी कोई सूचना समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फार्मेट में प्रस्तुत करेगी। (xvi) अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्टें, खाते, प्राक्कलन, विवरणियां या ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। (xvii) सेवाप्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों/ट्राई के पदाधिकारियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को अपनी प्रणालियों के परिचालन/विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें (xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। (xix) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कानूनी और/ या नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो। अन्य शर्तें (xx) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा। (xxi) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो।		
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई द्वारा निवेश)	सरकारी
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई द्वारा निवेश)	सरकारी

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
8.2.1	अन्य शर्तें:		
	(i) इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है। (ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा।		
8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले जर्नल/नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा	100%	सरकारी
8.4	विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी
8.4.1	अन्य शर्तें		
	(i) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। (ii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है। (iii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।		
9.	नागरिक उड्डयन		
	नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए : (i) 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधा होती है और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है। (ii) "एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं। (iii) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो। (iv) "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(v) "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है। (vi) "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुतः ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटार की मदद से उड़ान भरने वाला विमान से भारी यान से है। (vii) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो। (viii) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है। (ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो; (x) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो; (xi) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।		
9.2	हवाईअड्डा		
	(क) नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाएं	100 प्रतिशत	स्वचालित
	(ख) मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत तक स्वचालित 74 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
	(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा	49 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	स्वचालित
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	74 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ इक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(3) हेलीकॉप्टर सेवा/ समुद्री विमान के लिए डीजीसीए की मंजूरी आवश्यक	100 प्रतिशत	स्वचालित
9.3.1	अन्य शर्तें		
	(क) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं। (ख) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचालित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है। (ग) विदेशी एयरलाइनों को अब से अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनके चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे : (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा। (ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा। (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं: क) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; ख) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और ग) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो। (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़े हुए सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापति प्रमाणपत्र लेना होगा। (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा। टिप्पणी: उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/ प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो। (घ) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर उक्त (ग) में वर्णित नीति लागू नहीं है।		
9.4	नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं		
	(1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन	74 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
	(2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100 प्रतिशत	स्वचालित
10	पैकेज, पार्सल और अन्य मर्दों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर	100 प्रतिशत	स्वचालित

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
11	निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना		
11.1	टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी सुविधाएं और निर्माण-विकास परियोजनाएं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन की सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं हैं)	100 प्रतिशत	स्वचालित
11.2	निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: (1) प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित होगा: (i) सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंड के विकास के मामले में, 10 हेक्टेयर का न्यूनतम भूमि क्षेत्र (ii) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में 50,000 वर्गमीटर का न्यूनतम बिल्ट-अप-क्षेत्र (iii) संयोजन परियोजना के मामले में, ऊपर की दो शर्तों में से कोई एक पर्याप्त होगी। (2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए न्यूनतम 10 लाख अमेरिकी डालर और भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उपक्रम के लिए 5 लाख अमेरिकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी के कारोबार के प्रारंभ होने के छः महीने के भीतर ही निधियों को लाना होगा। (3) न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने के तीन साल से पहले मूल निवेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। मूल निवेश का तात्पर्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लायी गयी पूरी राशि से है। तीन वर्ष की लॉक-इन-अवधि को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रत्येक किस्त/श्रृंखला की प्राप्ति की तारीख या न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से लागू किया जाएगा। हालांकि, निवेशकों के लिए एफआईपीबी के माध्यम से सरकार के पूर्व अनुमोदन से पहले बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। (4) सभी सांविधिक मंजूरीयां प्राप्त करने की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर ऐसी सभी परियोजना का कम से कम 50% विकसित किया जाना चाहिए। निवेशक/निवेशिती कंपनी को अविकसित भूखंडों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'अविकसित भूखंडों' का तात्पर्य ऐसे भूखंडों से है जहां निर्धारित विनियमों के तहत सड़क, पानी की आपूर्ति, सड़क पर रोशनी, जल निकासी, सीवरेज, और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंडों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व यह आवश्यक है कि निवेशक इस बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराए और संबंधित स्थानीय निकाय/ सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करे। (5) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार/ नगरपालिका/ संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग संबंधी अपेक्षाओं और सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। (6) निवेशक/निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिनके अंतर्गत भवन/खाका, आंतरिक और परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य बुनियादी संरचनागत सुविधाओं का विकास, डेवलपमेंट, बाहरी विकास और अन्य प्रभागों का भुगतान तथा संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/ स्थानीय निकाय के प्रयोज्य नियमावली/उप नियमावली/विनियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का पूरा किया जाना शामिल है।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(7) भवन/विकास योजनाओं का अनुमोदन करने वाली राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय यह निगरानी करेगा कि डेवलपर उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करता है कि नहीं। नोट : (i) होटलों और पर्यटन, अस्पतालों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), शिक्षा क्षेत्र, वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर उपर्युक्त मद सं (1) से (4) में बताई गई शर्तें लागू नहीं होंगी। (ii) रियल एस्टेट कारोबार में एफडीआई की अनुमति नहीं है।		
12	औद्योगिक पार्क - नए और मौजूदा	100 प्रतिशत	स्वचालित
12.1	(i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों या इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है। (ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं। इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने का मार्ग), जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं। (iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं। इनके अंतर्गत बिजली, सड़कें (पहुंचने का मार्ग), जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।		
	(iv) औद्योगिक पार्क में "आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है : (ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नहीं है। (बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र। (सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं हैं। (v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्श गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
12.2	औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11 में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों : (i) उनमें कम-से-कम 10 इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी; (ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।		
13	उपग्रह - स्थापना और परिचालन		
13.1	उपग्रह-स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/आईएसआरओ के क्षेत्र-विशेष दिशा-निर्देशों के अधीन है।	74 प्रतिशत	सरकार
14	निजी सुरक्षा एजेंसियां	49 प्रतिशत	सरकार
15	दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I सहित) सभी टेलिकॉम सेवाएं जिनमें (दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I, अर्थात् मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आइएसपी लाइसेंस, वॉइस मेल/आडीओटेक्स/युएमएस, आयपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I (डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करने वाले) सहित। इसमें अन्य सेवाएं प्रदाता शामिल नहीं हैं।	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से
15.1.1	अन्य शर्त : स्वचालित मार्ग से 49% तक और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन मार्ग से 49% से अधिक, कुल 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समय-समय पर टेलीकम्यूनिकेशन विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी शर्तों का लाइसेंस-धारी के साथ-साथ निवेशक द्वारा अनुपालन करने की शर्त के अधीन।		
16.	व्यापार		
16.1	(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)	100 प्रतिशत	स्वचालित
16.1.1	परिभाषा : कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक माल की बिक्री करना। तदनुसार, थोक व्यापार का		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	अर्थ होगा - व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुनः बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी2बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।		
16.1.2	कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश (ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/पंजीकरण/परमिट प्राप्त किए जाएंगे। (बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाए: (I) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं; अथवा (II) सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात् लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखनेवाली संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा (III) सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉर्कर्स के लिए तेहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस) रखनेवाली संस्थाएं; अथवा (IV) निगमन प्रमाणपत्र रखनेवाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं। टिप्पणी: ऐसी किसी संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी :		
	(सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण/लाइसेंस/परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि जैसे पूरे विवरण के रिकार्ड दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए। (डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न ओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। (ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। (एफ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए, थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा दुकानें नहीं खोल सकेगा।		
16.2	ई-कॉमर्स गतिविधियां	100 प्रतिशत	स्वचालित
	ई-कॉमर्स गतिविधियों का अभिप्राय है - ई-कॉमर्स प्लैटफार्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने और बेचने की गतिविधि। ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई-कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	बातों के साथ-साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे।		
16.3	टेस्ट मार्केटिंग गतिविधि हटाई गयी	--	--
16.4	सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100 प्रतिशत	49% तक स्वचालित मार्ग से । 49% से अधिक सरकारी मार्ग से ।
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। (2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा: (ए) बेचे जानेवाले उत्पाद केवल 'एक ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे। (बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए। (सी) 'सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है। (डी) अनिवासी संस्था अथवा संस्थाएं, चाहे ब्रैंड की स्वामी हो/हों अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के लिए सीधे अथवा ब्रैंड के स्वामी के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद का खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद का खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करनेवाली संस्था अनुमोदन प्राप्त करते समय इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी जिसमें लाइसेंसिंग/फ्रैन्चाइज/उप लाइसेंस करार की प्रतिलिपि, विशेषकर उक्त शर्तों के अनुपालन को दर्शाना शामिल होगा। अपेक्षित साक्ष्य स्वचालित मार्ग के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को और अनुमोदन के मामलों में एसआइए/एफआईपीबी को फाइल किये जाएंगे। (ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य का 30 प्रतिशत सोर्सिंग, भारत से किया जाएगा, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी सांविधिक लेखा-परीक्षाओं द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से, जो कंपनी को रखने होंगे, जांच की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो। (एफ) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को अनुमत नहीं होगा। (3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के आवेदन औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में एसआईए को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदनपत्र में उन उत्पाद/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जिनका 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जानेवाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार का नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, प्रस्तावित उत्पाद श्रेणी की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। (4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।		
16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	सरकारी
	(1) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी: (i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताजे कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं। (ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डालर होगी। (iii) 100 मिलियन अमरीकी डालर में से प्रथम श्रृंखला में लगाए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कम-से-कम 50 प्रतिशत राशि 3 वर्ष के भीतर 'बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश की जाएगी, जहां बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, लेकिन उसमें फ्रंट एंड यूनिटों पर व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद इन्फ्रास्ट्रक्चर, आदि शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर व्यय की गणना, यदि कोई हो, को बैंक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। कारोबार की अपेक्षा के आधार पर एमबीआरटी रिटेलर आवश्यकतानुसार बैंक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाद के निवेश करेगा। (iv) खरीदे गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30 प्रतिशत भारतीय 'माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योगों', जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 2.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो, से लिया (सोर्स) जाएगा। यह मूल्यन संस्थापन के समय के मूल्य का है, जिसमें मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं है। रिटेलर के साथ प्रथम संबंध होने के समय ही लघु उद्योग के दर्जे की गणना की जाएगी और ऐसे उद्योग की लघु उद्योग के रूप में पात्रता इस प्रयोजन हेतु जारी रहेगी, भले ही उक्त रिटेलर के साथ संबंधों के तहत वह 2.00 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश को बढ़ा लेता है। कृषि सहकारी संस्थाओं और कृषक सहकारी संस्थाओं से की गयी खरीद (सोर्स) को भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। पहली बार प्राप्त की जाने वाली मात्रा, 5 वर्ष में खरीदे जाने वाले विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पाद के कुल मूल्य के औसत के आधार पर होगी; यह उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगी जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (ii), (iii) और (iv) की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे। (vi) खुदरा बिक्री आउटलेट 2011 की जनगणना के अनुसार 10लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों अथवा प्राप्त-कर्ता राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विनिर्दिष्ट किसी अन्य शहर और ऐसे शहरों की म्युनिसिपल/शहरी संपुंज सीमाओं के आस पास के 10 किलोमीटर के दायरे को भी कवर कर सकता है। खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। (vii) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा। (viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (अनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाए जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनका नाम नीचे दी गए हैं ; 1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. दिल्ली 4. हरियाणा 5. हिमाचल प्रदेश¹ 6. जम्मू और कश्मीर 7. कर्नाटक² 8. महाराष्ट्र 9. मणिपुर 10. राजस्थान 11. उत्तराखंड 12. दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने के इच्छुक राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी सहमति की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दे सकते हैं और तदनुसार उनके नाम इसमें जोड़ दिये जाएंगे। खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना दुकान तथा संस्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी। (ix) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमति बहु-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी। (x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	वित्तीय सेवाएं नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी:		
17.	परिसंपत्तियाँ (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)		
17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।	एआरसी की प्रदत्त पूंजी का 100 प्रतिशत (FDI तथा F 11)	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से
17.2	अन्य शर्तें:		
	(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की पूंजी में 49% स्वचालित मार्ग से और उससे अधिक सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश पूरी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में होने चाहिए। एआरसी की ईक्विटी पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति नहीं है। (ii) किसी भी प्रवर्तक को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग अथवा विदेशी संस्थागत मार्ग के द्वारा आस्ति पुनर्गठन कंपनी में 50% से अधिक की शेयर धारिता की अनुमति नहीं होगी। किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी में विदेशी निवेश के लिए निवेश मार्ग और सेक्टरल कॅप का पालन किया जाना चाहिए। तथापि, किसी एक एफआईआई की आस्ति पुनर्गठन कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता नहीं होनी चाहिए। (iii) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 74% तक निवेश कर सकते हैं। (iv) किसी एक व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक किया गया निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 (3) (एफ) के प्रावधानों के अधीन होगा।		
18.	बैंकिंग-निजी क्षेत्र		
18.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	एफआईआई द्वारा किए गए निवेश सहित 74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से ज्यादा और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
18.2	अन्य शर्तें:		
	(1) 74 प्रतिशत की इस सीमा में शामिल होंगे - पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत एफआईआई व एनआरआई द्वारा किए गए निवेश, पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर, 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर सहित मौजूदा		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे। (2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होनेवाला विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 74 प्रतिशत तक ही अनुमत होगा। किसी विदेशी बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूंजी का 26 प्रतिशत हिस्सा सदैव निवासियों के पास रहेगा। (3) ऊपर उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जानेवाले सभी निवेशों पर भी लागू होंगी। (4) एफआईआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जानेवाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगी: (i) एफआईआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार किसी एक एफआईआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी एफआईआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस सीमा को संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक को अपने निदेशक मंडल से इस आशय का संकल्प पारित करवाना होगा और उसे बाद में अपनी आम सभा में भी इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करवाना होगा।		
	(ए) इस तरह से एफआईआई द्वारा किए जानेवाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी। (बी) एनआरआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार निजी धारिता प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित है और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करवा लेती है तो उसमें एनआरआई धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक रहने की अनुमति दी जा सकती है। (सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम/सहायक संस्था रखनेवाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाने चाहिए जो उन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (इरडा) के परामर्श से विचार करेगा। इससे यह सुनिश्चित करने में सुविधा होगी कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता के लिए लागू 26 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं होने पाता। (डी) ऊपर पैरा 3.6.2 में दिए गए अनुसार एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी। (ई) इन मामलों के संबंध में रिज़र्व बैंक और सेबी, कंपनी मामले निदेशालय एवं इरडा जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू रहेंगी। (एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के द्वारा किया गया अर्जन इतना हो जाता है कि उससे उस व्यक्ति को उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल हो जाए तो ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा द्वारा अर्जन करने से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशकों पर भी लागू होंगे। (ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था की स्थापना (ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में से किसी एक को ही रखने की अनुमति दी जाएगी।		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिजर्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन करते हैं, उन्हें 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें। (सी) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् (i) शाखाएं (ii) एक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था, में से किसी एक चैनल के माध्यम से ही परिचालन कर सकता है। (डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते ऊपर पैरा (i)(ख) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे। (ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था को लाइसेंस प्राप्त करने की सभी अपेक्षाओं के साथ ही निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए स्थूल रूप से निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा। (एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। (जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिजर्व बैंक को करने होंगे। (iii) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार दस प्रतिशत तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन अंतिम नीतिगत निर्णय किए जाने और संसद का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।		
19.	बैंकिंग – सार्वजनिक क्षेत्र		
19.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन। यह सीलिंग (20 प्रतिशत) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है।	20 प्रतिशत (एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश)	सरकार
20.	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)		
20.1	1. पण्यों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत विनियमित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज पण्यों के फ्यूचर्स बाजार की बुनियादी कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य सर्वोत्तम पद्धतियों, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि पण्य बाजारों में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाए। 2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, (i) “पण्य बाजार” अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराता , (ii) “मान्यता प्राप्त संस्था” से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसे अग्रिम संविदा (विनियमन)		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता प्रदान की गई है। (iii) "संस्था" से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निगमित अथवा अनिगमित, से है जो किसी वस्तु अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री या खरीद के कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया गया हो। (iv) "वायदा संविदा" से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जो वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए है और जो एक तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है। (v) "कमोडिटी डेरिवेटिव" से अभिप्राय है - ○ वस्तुओं की सुपुर्दगी की एक संविदा जो तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है; अथवा ○ मूल्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिसका मूल्यन कीमतों अथवा ऐसी अन्तर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाक्रमों के मूल्य सूचकांकों पर आधारित हो जो केंद्र सरकार द्वारा वायदा बाजार आयोग के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी।		
20.2	पण्य बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नीति	49 प्रतिशत (एफडीआई और एफआईआई) [पंजीकृत एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत निवेश की सीमा 23 प्रतिशत और एफडीआई योजना के तहत निवेश की सीमा 26 प्रतिशत]	स्वचालित
20.3	अन्य शर्तें: (i) एफआईआई द्वारा की जानेवाली खरीद को द्वितीयक बाजार तक ही सीमित रखा जाए, और (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करनेवाले व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकते हैं। (iii) पण्य-शेयर बाजारों में विदेशी निवेश उपभोक्ता मामलों के विभाग/ वायदा बाजार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया जा सकेगा।		
21.	ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)		
21.1	ऋण आसूचना कंपनियां	74 प्रतिशत (एफडीआई और	स्वचालित

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
		एफआईआई)	
21.2	अन्य शर्तें: (1) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन होगा। (2) सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमति है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई निवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते, (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, है नी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		
22	प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी		
22.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार और समाशोधन निगम।	49 प्रतिशत (एफडीआई एवं एफआईआई) [चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक एफआईआई]	स्वचालित मागे
22.2	अन्य शर्तें		
22.2.1	एफआईआई केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं		
23	बीमा		
23.1	बीमा	26 प्रतिशत	स्वचालित
23.2	अन्य शर्तें 1) बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत दी गई है। 2) बशर्ते, एफडीआई लानेवाली कंपनियों ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया हो।		
24	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
24.1	एनबीएफसी में स्वचालित मार्ग के तहत केवल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश की अनुमति होगी:	100 प्रतिशत	स्वचालित
	(i) व्यापार बैंकिंग		
	(ii) हमीदारी अंकन		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं (v) वित्तीय परामर्श (vi) शेयर दलाली (vii) आस्ति प्रबंधन (viii) जोखिम पूंजी (वेंचर केपिटल) (ix) अभिरक्षक सेवाएं (x) फैक्टरिंग (xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (xii) लीजिंग तथा वित्त (xiii) आवास वित्त (xiv) विदेशी मुद्रा दलाली (xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार (xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (xvii) सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट) (xviii) ग्रामीण ऋण		
24.2	अन्य शर्तें: (1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगा: (i) 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे (ii) 51 प्रतिशत से अधिक परंतु 75 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे। (iii) 75 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन यूएस डालर, जिसमें से 7.5 मिलियन यूएस डालर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा। (iv) एनबीएफसी जिनमें (i) 75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन यूएस डालर है, वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित एफडीआई नीति पर डीआईपीपी द्वारा 10 अप्रैल 2012 को जारी परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। (v) संयुक्त उद्यम के रूप में परिचालित होनेवाली एनबीएफसी भी, जिनमें विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या उससे कम हैं, अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं, बशर्ते अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) तथा निम्नलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों। (vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन यूएस डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे:		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुषंगी संस्थाएं गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/ परिचालन कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। टिप्पणी: निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा: (क) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं (ख) वित्तीय परामर्श (ग) विदेशी मुद्रा दलाली (घ) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (ङ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (vii) ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे। टिप्पणी : (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा - क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री, विपणन एवं अभिकल्पना शामिल है। (ii) लीजिंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज इसमें शामिल नहीं होंगी। (2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन करना होगा।		
25	फार्मास्यूटिकल्स		
25.1	नई (ग्रीनफील्ड)	100 प्रतिशत	स्वचालित
25.2	विद्यमान कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकार
26	पावर एक्सचेंज		
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (एफडीआई एवं एफआईआई)	स्वचालित (एफडीआई के लिए)
26.2	अन्य शर्तें:		
	(i) ऐसे विदेशी निवेश एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और एफआईआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे। (ii) एफआईआई निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति होगी तथा एफडीआई निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति लेनी होगी; (iii) एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाजार तक ही सीमित होगी। (iv) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं, इन कंपनियों की 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारित नहीं कर सकेंगे; और (v) विदेशी निवेश सेबी के विनियमनों, अन्य लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।		

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, 30th August, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Twelfth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 597(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), (hereinafter referred to as 'the principal Regulations,' namely :—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Twelfth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from August 22, 2013. @

2. Amendment to Regulation 14

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Regulation 14, in sub-regulation 1,

- a. in clause (i), in sub-clause a, the words, “Company shall be considered ‘Controlled’ by resident Indian citizens if the residents Indian citizens and Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens, have the power to appoint a majority of its directors in that company” shall be deleted.
- b. in clause (i), in sub-clause b, the words, “Company ‘Controlled’ by non-residents means an Indian company where non-residents have the power to appoint a majority of its directors in that company” shall be deleted;
- c. after clause (i), the following shall be added, namely;
“(ia) ‘Control’ shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.”

3. Amendment to Schedule 1

For the existing Annex B, new “Annex B” shall be substituted.

[No. FEMA. 285/2013-RB]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:—

- (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
 G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
 G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
 G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
 G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
 G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013,
 G.S.R.No._____ dated _____,
 G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013,
 G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
 G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
 G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013,
 G.S.R.No.530(E) dated 05.08.2013, and
 G.S.R.No._____ dated _____

Annex B

Sector-specific policy for foreign investment

In the following sectors/activities, FDI up to the limit indicated against each sector/activity is allowed, subject to applicable laws/ regulations; security and other conditionalities. In sectors/activities not listed below, FDI is permitted upto 100% on the automatic route, subject to applicable laws/regulations; security and other conditionalities.

Wherever there is a requirement of minimum capitalization, it shall include share premium received along with the face value of the share, only when it is received by the company upon issue of the shares to the non-resident investor. Amount paid by the transferee during post-issue transfer of shares beyond the issue price of the share, cannot be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
AGRICULTURE			
1.	Agriculture & Animal Husbandry		
	a) Floriculture, Horticulture, Apiculture and Cultivation of Vegetables & Mushrooms under controlled conditions; b) Development and production of Seeds and planting material; c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture, Aquaculture, under controlled conditions; and d) services related to agro and allied sectors Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity	100%	Automatic
1.1	Other Conditions :		
	I. For companies dealing with development of transgenic seeds/vegetables, the following conditions apply: (i) When dealing with genetically modified seeds or planting material the company shall comply with safety requirements in accordance with laws enacted under the Environment (Protection) Act on the genetically modified organisms. (ii) Any import of genetically modified materials if required shall be subject to the conditions laid down vide Notifications issued under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. (iii) The company shall comply with any other Law, Regulation or Policy governing genetically modified material in force from time to time. (iv) Undertaking of business activities involving the use of genetically engineered cells and material shall be subject to the receipt of approvals from Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) and Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM). (v) Import of materials shall be in accordance with National Seeds Policy.		
	II. The term 'under controlled conditions' covers the following: ☐ 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically. ☐ In case of Animal Husbandry, scope of the term 'under controlled Conditions' covers – o Rearing of animals under intensive farming systems with stall-feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems. o Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc. ☐ In the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers –		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	- o Aquariums - o Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control. ☐ In the case of apiculture, scope of the term ‘‘under controlled conditions’ covers – - o Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons.		
2	Tea Plantation		
2.1	Tea sector including tea plantations	100%	Government
	Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other plantation sector/activity		
2.2	Other Condition :		
	Prior approval of the State Government concerned in case of any future land use change.		
3	<u>MINING</u>		
3.1	Mining and Exploration of metal and non metal ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.	100%	Automatic
3.2	Coal and Lignite		
	(1) Coal & Lignite mining for captive consumption by power projects, iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973	100%	Automatic
	(2) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.	100%	Automatic
3.3	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated activities		
3.3.1	Mining and mineral separation of titanium bearing minerals & ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation Act 1957)	100%	Government
3.3.2	Other conditions:		
	India has large reserves of beach sand minerals in the coastal stretches around the country. Titanium bearing minerals viz. Ilmenite, rutile and leucosene, and Zirconium bearing minerals including zircon are some of the beach sand minerals which have been classified as ‘prescribed substances’ under the Atomic Energy Act, 1962.		
	Under the Industrial Policy Statement 1991, mining and production of minerals classified as ‘prescribed substances’ and specified in the Schedule to the Atomic Energy (Control of Production and Use) Order, 1953 were included in the list of industries reserved for the		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	public sector. Vide Resolution No. 8/1(1)/97-PSU/1422 dated 6th October 1998 issued by the Department of Atomic Energy laying down the policy for exploitation of beach sand minerals, private participation including Foreign Direct Investment (FDI), was permitted in mining and production of Titanium ores (Ilmenite, Rutile and Leucoxene) and Zirconium minerals (Zircon). Vide Notification No. S.O.61(E) dated 18.1.2006, the Department of Atomic Energy re-notified the list of 'prescribed substances' under the Atomic Energy Act 1962. Titanium bearing ores and concentrates (Ilmenite, Rutile and Leucoxene) and Zirconium, its alloys and compounds and minerals/concentrates including Zircon, were removed from the list of prescribed substances'. (i) FDI for separation of titanium bearing minerals & ores will be subject to the following additional conditions viz.: (A) value addition facilities are set up within India along with transfer of technology; (B) disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987. (ii) FDI will not be allowed in mining of 'prescribed substances' listed in the Notification No. S.O. 61(E) dated 18.1.2006 issued by the Department of Atomic Energy. Clarification: (1) For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition. Ilmenite can be processed to produce 'Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product. (2) The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of the FDI Policy can be achieved, the conditions prescribed at (i) (A) above shall be deemed to be fulfilled.		
4	Petroleum & Natural Gas		
4.1	Exploration activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas/pipelines, LNG Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies	100%	Automatic
4.2	Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSU), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.	49%	Automatic
	MANUFACTURING		
5	Manufacture of items reserved for production in Micro and Small Enterprises (MSEs)		
5.1	FDI in MSEs [as defined under Micro, Small And Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED, Act 2006)] will be subject to the sectoral caps, entry routes and other relevant sectoral regulations. Any industrial undertaking which is not a Micro or Small Scale Enterprise, but manufactures items reserved for the MSE sector would require Government route where foreign investment is more than 24% in the capital. Such an undertaking would also require an Industrial License under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for such manufacture. The issue of Industrial License is subject to a few general conditions and the specific condition that the Industrial Undertaking shall undertake to export a minimum of 50% of the new or additional annual production of the MSE reserved items to be achieved within a maximum period of three years. The export obligation would be applicable from the date of commencement of commercial		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	production and in accordance with the provisions of section 11 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.		
6	DEFENCE		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	26%	Up to 26% Government. Above 26% to Cabinet Committee on Security (CCS) on case to case basis, which ensure access to modern and 'state-of-art' technology in the country.
6.2	Other conditions:		
	(i) Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence. (ii) The applicant should be an Indian company/partnership firm. (iii) The management of the applicant company/partnership should be in Indian hands with majority representation on the Board as well as the Chief Executives of the company/partnership firm being resident Indians. (iv) Full particulars of the Directors and the Chief Executives should be furnished along with the applications. (v) The Government reserves the right to verify the antecedents of the foreign collaborators and domestic promoters including their financial standing and credentials in the world market. Preference would be given to original equipment manufacturers or design establishments, and companies having a good track record of past supplies to Armed Forces, Space and Atomic energy sections and having an established R & D base. (vi) There would be no minimum capitalization for the FDI. A proper assessment, however, needs to be done by the management of the applicant company depending upon the product and the technology. The licensing authority would satisfy itself about the adequacy of the net worth of the non-resident investor taking into account the category of weapons and equipment that are proposed to be manufactured. (vii) There would be a three-year lock-in period for transfer of equity from one non-resident investor to another non-resident investor (including NRIs & erstwhile OCBs with 60% or more NRI stake) and such transfer would be subject to prior approval of the Government. (viii) The Ministry of Defence is not in a position to give purchase guarantee for products to be manufactured. However, the planned acquisition programme for such equipment and overall requirements would be made available to the extent possible. (ix) The capacity norms for production will be provided in the licence based on the application as well as the recommendations of the Ministry of Defence, which will look into existing capacities of similar and allied products. (x) Import of equipment for pre-production activity including development of prototype by the applicant company would be permitted. (xi) Adequate safety and security procedures would need to be put in place by the licensee once the licence is granted and production commences. These would be subject to verification by authorized Government agencies.		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(xii) The standards and testing procedures for equipment to be produced under licence from foreign collaborators or from indigenous R & D will have to be provided by the licensee to the Government nominated quality assurance agency under appropriate confidentiality clause. The nominated quality assurance agency would inspect the finished product and would conduct surveillance and audit of the Quality Assurance Procedures of the licensee. Self-certification would be permitted by the Ministry of Defence on case to case basis, which may involve either individual items, or group of items manufactured by the licensee. Such permission would be for a fixed period and subject to renewals. (xiii) Purchase preference and price preference may be given to the Public Sector organizations as per guidelines of the Department of Public Enterprises. (xiv) Arms and ammunition produced by the private manufacturers will be primarily sold to the Ministry of Defence. These items may also be sold to other Government entities under the control of the Ministry of Home Affairs and State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. No such item should be sold within the country to any other person or entity. The export of manufactured items would be subject to policy and guidelines as applicable to Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings. Non-lethal items would be permitted for sale to persons / entities other than the Central of State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. Licensee would also need to institute a verifiable system of removal of all goods out of their factories. Violation of these provisions may lead to cancellation of the licence. (xv) Investment by Foreign Institutional Investors (FIIs) through portfolio investment is not permitted. (xvi) All applications seeking permission of the Government for FDI in defence would be made to the Secretariat of the Foreign Investment Promotion Board (Fin) in the Department of Economic Affairs. (xvii) Applications for FDI up to 26% will follow the existing procedure with proposals involving inflows in excess of Rs. 1200 crore being approved by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA). Applications seeking permission of the Government for FDI beyond 26%, will in all cases be examined additionally by the Department of Defence Production (DoDP) from the point of view particularly of access to modern and 'state-of-art' technology. (xviii) Based on the recommendation of the DoDP and FIPB, approval of the Cabinet Committee on Security (CCS) will be sought by the DoDP in respect of cases which are likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country. (xix) Proposals for FDI beyond 26% with proposed inflow in excess of Rs. 1200 crores, which are to be approved by CCS will not require further approval of the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA). (xx) Government decision on applications to FIPB for FDI in defence industry sector will be normally communicated within a time frame of 10 weeks from the date of acknowledgement.		
SERVICES SECTOR			
INFORMATION SERVICES			
7	Broadcasting		
7.1	Broadcasting Carriage Services		
7.1.1	(1) Teleports (setting up of up-linking HUBs/ Teleports); (2) Direct to Home (DTH); (3) Cable Networks (Multi System operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability); (4) Mobile TV; (5) Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)	74%	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs).	49%	Automatic

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
7.2	Broadcasting Content Services		
7.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio) , subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information & Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.	26%	Government
7.2.2	Up-linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	26%	Government
7.2.3	Up-linking a Non-'News & Current Affairs' TV Channels/ Down- linking of TV Channels	100%	Government
7.3	FDI for Up-linking/Down-linking TV Channels will be subject to compliance with the relevant Up-linking/Down-linking Policy notified by the Ministry of Information & Broadcasting from time to time.		
7.4	Foreign investment (FI) in companies engaged in all the aforesaid services will be subject to relevant regulations and such terms and conditions, as may be specified from time to time, by the Ministry of Information and Broadcasting.		
7.5	The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the aforesaid activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and convertible preference shares held by foreign entities.		
7.6	Foreign investment in the aforesaid broadcasting carriage services will be subject to the following security conditions/terms: Mandatory Requirement for Key Executives of the Company (i) The majority of Directors on the Board of the Company shall be Indian Citizens. (ii) The Chief Executive Officer (CEO), Chief Officer In-charge of technical network operations and Chief Security Officer should be resident Indian Citizens. Security Clearance of Personnel (iii) The Company, all Directors on the Board of Directors and such key executives like Managing Director / Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), shareholders who individually hold 10% or more paid-up capital in the company and any other category, as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, shall require to be security cleared. In case of the appointment of Directors on the Board of the Company and such key executives like Managing Director / Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), etc., as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, prior permission of the Ministry of Information and Broadcasting shall have to be obtained. It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors. (iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more than 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years. Permission vis-a-vis Security Clearance (v) The permission shall be subject to permission holder/licensee remaining security cleared throughout the currency of permission. In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith. (vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel is denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years. Infrastructure/Network/Software related requirement (vii) The officers/officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of Services		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	will be resident Indian citizens. (viii) Details of infrastructure/network diagram (technical details of the network) could be provided, on a need basis only, to equipment suppliers/manufactures and the affiliate of the licensee company. Clearance from the licensor would be required if such information is to be provided to anybody else. (ix) The Company shall not transfer the subscribers' databases to any person/place outside India unless permitted by relevant Law. (x) The Company must provide traceable identity of their subscribers. Monitoring, Inspection and Submission of Information (xi) The Company should ensure that necessary provision (hardware/software) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location as and when required by Government. (xii) The company, at its own costs, shall, on demand by the government or its authorized representative, provide the necessary equipment, services and facilities at designated place(s) for continuous monitoring or the broadcasting service by or under supervision of the Government or its authorized representative. (xiii) The Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative shall have the right to inspect the broadcasting facilities. No prior permission/intimation shall be required to exercise the right of Government or its authorized representative to carry out the inspection. The company will, if required by the Government or its authorized representative, provide necessary facilities for continuous monitoring for any particular aspect of the company's activities and operations. Continuous monitoring, however, will be confined only to security related aspects, including screening of objectionable content. (xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection. (xv) The company shall submit such information with respect to its services as may be required by the Government or its authorized representative, in the format as may be required, from time to time. (xvi) The permission holder/licensee shall be liable to furnish the Government of India or its authorized representative or TRAI or its authorized representative, such reports, accounts, estimates, returns or such other relevant information and at such periodic intervals or such times as may be required. (xvii) The service providers should familiarize/train designated officials of the government or officials of TRAI or its authorized representative(s) in respect of relevant operations/features of their systems. National Security Conditions (xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission holder/Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it may direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period of five years. (xix) The company shall not import or utilize any equipment, which are identified as unlawful and/or render network security vulnerable. Other conditions (xx) Licensor reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	necessary in the interest of national security and public interest or for proper provision of broadcasting services. (xxi) Licensee will ensure that broadcasting service installation carried out by it should not become a safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.		
8	Print Media		
8.1	Publishing of Newspaper and periodicals dealing with news and current affairs	26% (FDI and investment by NRIs/PIOs/FII)	Government
8.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs	26% (FDI and investment NRIs/PIOs/FII)	Government
8.2.1	Other Conditions:		
	(i) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, will be defined as a periodical publication, brought out on non-daily basis, containing public news or comments on public news. (ii) Foreign investment would also be subject to the Guidelines for Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs issued by the Ministry of Information & Broadcasting on 4.12.2008.		
8.3	Publishing / printing of Scientific and Technical Magazines / specialty journals / periodicals, subject to compliance with the legal framework as applicable and guidelines issued in this regard from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.	100%	Government
8.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%	Government
8.4.1	Other Conditions:		
	(i) FDI should be made by the owner of the original foreign newspapers whose facsimile edition is proposed to be brought out in India. (ii) Publication of facsimile edition of foreign newspapers can be undertaken only by an entity incorporated or registered in India under the provisions of the Companies Act, 1956. (iii) Publication of facsimile edition of foreign newspaper would also be subject to the Guidelines for publication of newspapers and periodicals dealing with news and current affairs and publication of facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry of Information & Broadcasting on 31.3.2006, as amended from time to time.		
9	Civil Aviation		
9.1	The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Non-Scheduled domestic passenger airlines, Helicopter services/Seaplane services, Ground Handling Services, Maintenance and Repair organizations; Flying training institutes; and Technical training institutions. For the purposes of the Civil Aviation sector: (i) 'Airport' means a landing and taking off area for aircrafts, usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause (2) of section 2 of the Aircraft Act, 1934; (ii) "Aerodrome" means any definite or limited ground or water area intended to be used, either wholly or in part, for the landing or departure of aircraft, and includes all buildings, sheds, vessels, piers and other structures thereon or pertaining thereto; (iii) "Air transport service" means a service for the transport by air of persons, mails or any other thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoever, whether such service consists of a single flight or series of flights; (iv) "Air Transport Undertaking" means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward; (v) "Aircraft component" means any part, the soundness and correct functioning of which, when fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(vi) "Helicopter" means a heavier-than-air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axis; (vii) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public; (viii) "Non-Scheduled Air Transport service" means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines; (ix) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation; (x) "Seaplane" means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting solely on water; (xi) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) traffic handling both of which shall include the activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circulars from time to time, and (iii) any other activity specified by the Central Government to be a part of either ramp handling or traffic handling.		
9.2	Airports		
	(a) Greenfield projects	100%	Automatic
	(b) Existing projects	100%	Automatic up to 74% Government route beyond 74%
9.3	Air Transport Services		
	(1) Scheduled Air Transport Service / Domestic Scheduled Passenger Airline	49% FDI (100% for NRIs)	Automatic
	(2) Non-Scheduled Air Transport Service	74% FDI (100% for NRIs)	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%
	(3) Helicopter services / seaplane services requiring DGCA approval	100%	Automatic
9.3.1	Other Conditions		
	(a) Air Transport Services would include Domestic Scheduled Passenger Airlines; Non-Scheduled Air Transport Services, helicopter and seaplane services. (b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies operating Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes mentioned above. (c) Foreign airlines are also, henceforth, allowed to invest, in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the following conditions: (i) It would be made under the Government approval route. (ii) The 49% limit will subsume FDI and FII investment. (iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations.		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company: <i>a) that is registered and has its principal place of business within India;</i> <i>b) the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and</i> <i>c) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals.</i> (v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; and (vi) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation. Note: The FDI limits/entry routes, mentioned at paragraph 9.3(1) and 9.3(2) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines. (d) The policy mentioned at (c) above is not applicable to M/s Air India Limited.		
9.4	Other services under Civil Aviation sector		
	(1) Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance	74% FDI (100% for NRIs)	Automatic up to 49% Government route beyond 49% and up to 74%
	(2) Maintenance and Repair organizations; flying training institutes; and technical training institutions	100%	Automatic
10	Courier services for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters.	100%	Automatic
11	Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure		
11.1	Townships, housing, built-up infrastructure and construction-development projects (which would include, but not be restricted to, housing, commercial premises, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure)	100%	Automatic
11.2	Investment will be subject to the following conditions : (1) Minimum area to be developed under each project would be as under : (i) In case of development of serviced housing plots, a minimum land area of 10 hectares (ii) In case of construction-development projects, a minimum built-up area of 50,000 sq.mts (iii) In case of a combination project, any one of the above two conditions would suffice (2) Minimum capitalization of US\$10 million for wholly owned subsidiaries and US\$ 5 million for joint ventures with Indian partners. The funds would have to be brought in within six months of commencement of business of the Company. (3) Original investment cannot be repatriated before a period of three years from completion of minimum capitalization. Original investment means the entire amount brought in as FDI. The lock-in period of three years will be applied from the date of receipt of each installment/tranche of FDI or from the date of completion of minimum capitalization, whichever is later. However, the investor may be permitted to exit earlier with prior approval of the Government through the FIPB. (4) At least 50% of each such project must be developed within a period of five years from the date of obtaining all statutory clearances. The investor/investee company would not be permitted to sell		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	undeveloped plots. For the purpose of these guidelines, 'undeveloped plots' will mean where roads, water supply, street lighting, drainage, sewerage, and other conveniences, as applicable under prescribed regulations, have not been made available. It will be necessary that the investor provides this infrastructure and obtains the completion certificate from the concerned local body/service agency before he would be allowed to dispose of serviced housing plots. (5) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned. (6) The investor/investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals, including those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities, payment of development, external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/bye-laws/regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned. (7) The State Government/Municipal/Local Body concerned, which approves the building/development plans, would monitor compliance of the above conditions by the developer. Note: (i) The conditions at (1) to (4) above would not apply to Hotels & Tourism, Hospitals, Special Economic Zones (SEZs), Education Sector, Old age Homes and investment by NRIs. (ii) FDI is not allowed in Real Estate Business.		
12	Industrial Parks – new and existing	100%	Automatic
12.1	(i) "Industrial Park" is a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built up space or a combination with common facilities, is developed and made available to all the allottee units for the purposes of industrial activity. (ii) "Infrastructure" refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air conditioning. (iii) "Common Facilities" refer to the facilities available for all the units located in the industrial park, and include facilities of power, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facility buildings, industrial canteens, convention/conference halls, parking, travel desks, security service, first aid center, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park. (iv) <u>"Allocable area" in the Industrial Park means-</u> (a) in the case of plots of developed land - the net site area available for allocation to the units, excluding the area for common facilities. (b) in the case of built up space - the floor area and built up space utilized for providing common facilities. (c) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built up space utilized for providing common facilities. (v) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity; gas and water supply; post and telecommunications; software publishing, consultancy and supply; data processing, database activities and distribution of electronic content; other computer related activities; basic and applied R&D on bio-technology, pharmaceutical sciences/life sciences, natural sciences and engineering;		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	business and management consultancy activities; and architectural, engineering and other technical activities.		
12.2	FDI in Industrial Parks would not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 11 above, provided the Industrial Parks meet with the under-mentioned conditions : (i) it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area; (ii) the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total allocable area.		
13	Satellites – Establishment and operation		
13.1	Satellites – Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space / ISRO	74%	Government
14	Private Security Agencies	49 %	Government
15	Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-I) All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, United Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), All types of ISP licences, Voice Mail/Audiotex/UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability Services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.	100%	Automatic up to 49% Above 49% Government.
15.1.1	Other condition: FDI upto 100% with 49% under automatic route and beyond 49% through FIPB route subject to observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications (DoT) from time to time.		
16	TRADING		
16.1	(i) Cash & Carry Wholesale Trading / Wholesale Trading (including sourcing from MSEs)	100%	Automatic
16.1.1	Definition: Cash & Carry Wholesale trading/Wholesale trading, would mean sale of goods/merchandise to retailers, industrial, commercial, institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers. Wholesale trading would, accordingly, be sales for the purpose of trade, business and profession, as opposed to sales for the purpose of personal consumption. The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not would be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading would include resale, processing and thereafter sale, bulk imports with ex-port/ex-bonded warehouse business sales and B2B e-Commerce.		
16.1.2	Guidelines for Cash & Carry Wholesale Trading/Wholesale Trading (WT): (a) For undertaking WT, requisite licenses / registration / permits, as specified under the relevant Acts/Regulations / Rules / Orders of the State Government / Government Body / Government Authority/Local Self-Government Body under that State Government should be obtained. (b) Except in case of sales to Government, sales made by the wholesaler would be considered as 'cash & carry wholesale trading/wholesale trading' with valid business customers, only when WT are made to the following entities:		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(I) Entities holding sales tax / VAT registration /service tax /excise duty registration; or (II) Entities holding trade licenses i.e. a license/registration certificate/membership certificate/registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority/ Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/person holding the license/ registration certificate/ membership certificate, as the case may be, is itself/ himself/herself engaged in a business involving commercial activity; or (III) Entities holding permits/license etc. for undertaking retail trade (like tehbazari and similar license for hawkers) from Government Authorities / Local Self Government Bodies; or (IV) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self consumption. Note: An Entity, to whom WT is made, may fulfill any one of the 4 conditions. (c) Full records indicating all the details of such sales like name of entity, kind of entity, registration/license/permit etc. number, amount of sale etc. should be maintained on a day to day basis. (d) WT of goods would be permitted among companies of the same group. However, such WT to group companies taken together should not exceed 25% of the total turnover of the wholesale venture. (e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations. (f) A Wholesale / Cash & carry trader cannot open retail shops to sell to the consumer directly.		
16.2	E-commerce activities	100%	Automatic
	E-commerce activities refer to the activity of buying and selling by a company through the e-commerce platform. Such companies would engage only in Business to Business (B2B) e-commerce and not in retail trading, inter-alia implying that existing restrictions on FDI in domestic trading would be applicable to e-commerce as well.		
16.3	Test marketing - Activity deleted	-	--
16.4	Single Brand product retail trading	100%	Up to 49% Automatic. Above 49% Government
	(1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices. (2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions: (a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only. (b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India. (c) 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing. (d) A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake single brand product retail trading in the country, for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement, with the brand owner for undertaking single brand product		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition will rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval. (e) In respect of proposals involving FDI beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years; total value of the goods purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of FDI for the purpose of carrying out single-brand product retail trading. (f) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible for companies with FDI, engaged in the activity of single brand retail trading. (3) Applications seeking permission of the Government for FDI exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/ product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/ product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government. In case of FDI upto 49% the product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI. (4) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investments satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.		
16.5	Multi Brand Retail Trading	51%	Government
	FDI in multi brand retail trading, in all products, will be permitted, subject to the following conditions: (i) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, may be unbranded. (ii) Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign investor, would be US \$ 100 million. (iii) At least 50% of total FDI brought in the first tranche of US \$ 100 million, shall be invested in 'backend infrastructure' within three years, where 'back-end infrastructure' will include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, ware-house, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of back-end infrastructure. Subsequent investment in the back-end infrastructure would be made by the MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements. (iv) At least 30% of the value of procurement of manufactured/ processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium industries, which have a total investment in plant & machinery not exceeding US \$ 2.00 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. The 'small industry' status would be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such industry shall continue to qualify as a 'small industry' for this purpose, even if it outgrows the said investment of US \$ 2.00 million, during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers' co-operatives would also be considered in this category. The procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years' total value of the manufactured/processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis.		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(v) Self-certification by the company, to ensure compliance of the conditions at serial nos. (ii), (iii) and (iv) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors. (vi) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the receptive State Governments, and may also cover an area of 10 kms. around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking. (vii) Government will have the first right to procurement of agricultural products. (viii) The above policy is an enabling policy only and the State Governments/ Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow FDI in MBRT under this policy. The States / Union Territories which have conveyed their concurrence are as under : 1. Andhra Pradesh 2. Assam 3. Delhi 4. Haryana 5. Himachal Pradesh¹ 6. Jammu & Kashmir 7. Karnataka² 8. Maharashtra 9. Manipur 10. Rajasthan 11. Uttarkhand 12. Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union Territories) The States/Union Territories, which are willing to permit establishment of retail outlets under this policy, would convey their concurrence to the Government of India through the Department of Industrial Policy & Promotion and additions would be made accordingly. The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State / Union Territory laws/ regulations, such as the Shops and Establishments Act etc. (ix) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of multi brand retail trading. (x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.		
	FINANCIAL SERVICES Foreign investment in other financial services , other than those indicated below, would require prior approval of the Government:		
17	Asset Reconstruction Companies		
17.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002	Upto 100% of paid-up capital of ARC (FDI & FII)	Upto 49% Automatic. Above 49% Government

¹ With effect from 3rd day of June 2013² With effect from 4th day of July 2013

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(SARFAESI Act).		
17.2	Other conditions:		
	(i) Persons resident outside India, can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs) registered with Reserve Bank, upto 49% under the Automatic Route and beyond 49% under the Government Route. Such investments have to be strictly in the nature of FDI. Investments by FIIs are not permitted in the equity capital of ARCs. (ii) No sponsor shall be permitted to hold more than 50% of the shareholding in an ARC either by way of FDI or by routing through an FII. The foreign investment in ARCs are required to comply with entry route conditionality and sectoral caps. However, the total shareholding of an individual FII shall not exceed 10% of the total paid-up capital of the ARC. (iii) FIIs registered with SEBI can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs registered with Reserve Bank. FIIs can invest up to 74 per cent of the paid-up value each tranche of scheme of Security Receipts issued by the ARCs. (iv) Any individual investment of more than 10% would be subject to provisions of section 3(3) (f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.		
18	Banking –Private sector		
18.1	Banking –Private sector	74% including investment by FIIs	Automatic upto 49% Government route beyond 49% and upto 74%
18.2	Other conditions:		
	(1) This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by FIIs, NRIs and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile OCBs, and continue to include IPOs, Private placements, GDR/ADRs and acquisition of shares from existing shareholders. (2) The aggregate foreign investment in a private bank from all sources will be allowed up to a maximum of 74 per cent of the paid up capital of the Bank. At all times, at least 26 per cent of the paid up capital will have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank. (3) The stipulations as above will be applicable to all investments in existing private sector banks also. (4) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges for FIIs and NRIs will be as follows: (i) In the case of FIIs, as hitherto, individual FII holding is restricted to 10 per cent of the total paid-up capital, aggregate limit for all FIIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised to 49 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body. (a) Thus, the FII investment limit will continue to be within 49 per cent of the total paid-up capital. (b) In the case of NRIs, as hitherto, individual holding is restricted to 5 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis and aggregate limit cannot exceed 10 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis. However, NRI holding can be allowed up to 24 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and non-repatriation basis provided the banking company passes a special resolution to that effect in the General Body. (c) Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture/subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank of India (RBI) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) in order to		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	ensure that the 26 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached. (d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue to require approval of RBI and Government as per para 3.6.2 of DIPP's Circular 1 of 2012 as applicable. (e) The policies and procedures prescribed from time to time by RBI and other institutions such as SEBI, D/o Company Affairs and IRDA on these matters will continue to apply. (f) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of shares of a private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 per cent or more of the paid up capital of the private bank will apply to non-resident investors as well. (ii) Setting up of a subsidiary by foreign banks (a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both. (b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 per cent paid up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India. (c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary and (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank. (d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 per cent of the paid capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (i) (b) above. (e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks. (f) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI (g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI. (iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of banking companies, and this should be noted by potential investor. Any change in the ceiling can be brought about only after final policy decisions and appropriate Parliamentary approvals.		
19	Banking- Public Sector		
19.1	Banking- Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts 1970/80. This ceiling (20%) is also applicable to the State Bank of India and its associate Banks.	20% (FDI and Portfolio Investment)	Government
20	Commodity Exchanges		
20.1	1. Futures trading in commodities are regulated under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. Commodity Exchanges, like Stock Exchanges, are infrastructure companies in the commodity futures market. With a view to infuse globally acceptable best practices, modern management skills and latest technology, it was decided to allow foreign investment in Commodity Exchanges. 2. For the purposes of this chapter, (i) "Commodity Exchange" is a recognized association under the provisions of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, as amended from time to time, to provide exchange platform for trading in forward contracts in commodities.		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(ii) “recognized association” means an association to which recognition for the time being has been granted by the Central Government under Section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (iii) “Association” means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purposes of regulating and controlling the business of the sale or purchase of any goods and commodity derivative. (iv) “Forward contract” means a contract for the delivery of goods and which is not a ready delivery contract. (v) “Commodity derivative” means- ☐ a contract for delivery of goods, which is not a ready delivery contract; or ☐ a contract for differences which derives its value from prices or indices of prices of such underlying goods or activities, services, rights, interests and events, as may be notified in consultation with the Forward Markets Commission by the Central Government, but does not include securities.		
20.2	Policy for FDI in Commodity Exchange	49% (FDI & FII) [Investment by Registered FII under Portfolio Investment Scheme (PIS) will be limited to 23% and Investment under FDI Scheme limited to 26%]	Automatic
20.3	Other conditions:		
	(i) FII purchases shall be restricted to secondary market only and (ii) No non-resident investor / entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies. (iii) Foreign investment in commodity exchanges will be subject to the guidelines of the Department of Consumer Affairs / Forward Markets Commission (FMC).		
21	Credit Information Companies (CIC)		
21.1	Credit Information Companies	74% (FDI & FII)	Automatic
21.2	Other Conditions:		
	(1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. (2) Foreign investment is permitted under the Government route, subject to regulatory clearance from RBI. (3) Investment by a registered FII under the Portfolio Investment Scheme would be permitted up to 24% only in the CICs listed at the Stock Exchanges, within the overall limit of 74% for foreign investment. (4) Such FII investment would be permitted subject to the conditions that: (a) No single entity should directly or indirectly hold more than 10% equity. (b) Any acquisition in excess of 1% will have to be reported to RBI as a mandatory requirement; and (c) FIIs investing in CICs shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding.		
22	Infrastructure Company in the Securities Market		
22.1	Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations	49% (FDI & FII) [FDI limit of 26 per cent and an FII limit of 23 per cent of the paid-up capital]	Automatic

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
22.2	Other Conditions:		
22.2.1	FII can invest only through purchases in the secondary market		
23	Insurance		
23.1	Insurance	26%	Automatic
23.2	Other Conditions:		
	(1) FDI in the Insurance sector, as prescribed in the Insurance Act, 1938, is allowed under the automatic route.		
	(2) This will be subject to the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority for undertaking insurance activities.		
24	Non-Banking Finance Companies (NBFC)		
24.1	Foreign investment in NBFC is allowed under the automatic route in only the following activities: (i) Merchant Banking (ii) Under Writing (iii) Portfolio Management Services (iv) Investment Advisory Services (v) Financial Consultancy (vi) Stock Broking (vii) Asset Management (viii) Venture Capital (ix) Custodian Services (x) Factoring (xi) Credit Rating Agencies (xii) Leasing & Finance (xiii) Housing Finance (xiv) Forex Broking (xv) Credit Card Business (xvi) Money Changing Business (xvii) Micro Credit (xviii) Rural Credit	100%	Automatic
24.2	Other Conditions:		
	(1) Investment would be subject to the following minimum capitalisation norms: (i) US \$ 0.5 million for foreign capital up to 51% to be brought upfront (ii) US \$ 5 million for foreign capital more than 51% and up to 75% to be brought upfront (iii) US \$ 50 million for foreign capital more than 75% out of which US\$ 7.5 million to be brought upfront and the balance in 24 months. (iv) NBFCs (i) having foreign investment more than 75% and up to 100%, and (ii) with a minimum capitalisation of US\$ 50 million, can set up step down subsidiaries for specific NBFC activities, without any restriction on the number of operating subsidiaries and without bringing in additional capital. The minimum capitalization condition as mandated by para 3.10.4.1 of DIPP Circular 1 of 2012 dated April 10, 2012, on Consolidated FDI Policy, therefore, shall not apply to downstream subsidiaries. (v) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less than 75% foreign investment can also set up subsidiaries for undertaking other NBFC activities, subject to the subsidiaries also complying with the applicable minimum capitalisation norm mentioned in (i), (ii) and (iii) above and (vi) below. (vi) Non- Fund based activities : US\$ 0.5 million to be brought upfront for all permitted non-fund based NBFCs irrespective of the level of foreign investment subject to the following condition: It would not be permissible for such a company to set up any subsidiary for any other activity, nor it can participate in any equity of an NBFC holding/operating company. Note: The following activities would be classified as Non-Fund Based activities: (a) Investment Advisory Services (b) Financial Consultancy		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	(c) Forex Broking (d) Money Changing Business (e) Credit Rating Agencies (vii) This will be subject to compliance with the guidelines of RBI. Note: (i) Credit Card business includes issuance, sales, marketing & design of various payment products such as credit cards, charge cards, debit cards, stored value cards, smart card, value added cards etc. (ii) Leasing & Finance covers only financial leases and not operating leases. (2) The NBFC will have to comply with the guidelines of the relevant regulator/ s, as applicable		
25	Pharmaceuticals		
25.1	Greenfield	100%	Automatic
25.2	Existing Companies	100%	Government
26	Power Exchanges		
26.1	Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010	49% (FDI & FII)	Automatic
26.2	Other conditions:		
	(i) Such foreign investment would be subject to an FDI limit of 26 per cent and an FII limit of 23 per cent of the paid-up capital; (ii) FII purchases shall be restricted to secondary market only; (iii) No non-resident investor/ entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies; and (iv) The foreign investment would be in compliance with SEBI Regulations; other applicable laws/ regulations; security and other conditionalities.		